<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>10.07.2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 09.07.2026 को दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम में मंगल सेन मित्तल, अनिल शर्मा और उनके सहयोगियों और व्यावसायिक संस्थाओं के आठ आवासीय और व्यावसायिक परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया है।

ईडी ने शांति निकेतन को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड (एसजीएचएस) के सदस्यों को कथित तौर पर धोखा देने के आरोप में अनिल शर्मा, अरुण शर्मा, मंगल सेन मित्तल और अन्य के खिलाफ पी.एस. सुशांत लोक, गुरुग्राम में दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत जांच शुरू की। आरोपियों पर शांति निकेतन को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड के सदस्यों को धोखा देने का आरोप है। जांच में पता चला कि मंगल सेन (सोसाइटी के तत्कालीन अध्यक्ष) ने अनिल शर्मा और अरुण शर्मा (मेसर्स कॉनोसियर इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड / सीआईपीएल के निदेशक) के साथ साजिश रचकर सोसाइटी का नियंत्रण धोखाधड़ी से ले लिया, सदस्यों के धन का दुरुपयोग किया, फर्जी सदस्यों को शामिल किया, आधिकारिक रिकॉर्ड छिपाया और पर्याप्त मात्रा में धन इकट्ठा करने के बाद हाउसिंग प्रोजेक्ट को छोड़ दिया।

जांच और तलाशी अभियान के दौरान यह पता चला कि 98 सदस्यों की स्वीकृत सीमा के विरुद्ध अनिल शर्मा और मंगल सेन ने अवैध रूप से 34 अनाधिकृत सदस्यता बेचीं। अभियुक्तों ने फ्लैट (3,500 रुपये-4,000 रुपये प्रति वर्ग फुट) बेचने के लिए दोहरे भुगतान की व्यवस्था की और आधिकारिक बैंक खातों के माध्यम से और नकद के रूप में संग्रह किया। अब तक, जांच के निष्कर्षों से लगभग 90.50 करोड़ रुपये के कुल संग्रह का पता चलता है, जिसमें बैंकिंग चैनलों के साथ-साथ नकद के माध्यम से एकत्र की गई राशि भी शामिल है। जांच में यह भी पता चला कि सोसायटी के फंड अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित व्यावसायिक संस्थाओं को भेजे गए थे। बैंक खातों की जांच से इन निधियों के तत्पश्चात किए गए स्तरीकरण एवं घूर्णन का पता चलता है, जिसमें मेसर्स कॉनोइसर इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड और अनिल शर्मा के खातों में जमा किए गए 12 करोड़ रुपये नकद भी शामिल हैं।

तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न डिजिटल उपकरण, आपत्तिजनक दस्तावेज, संपत्ति के दस्तावेज, ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण, टैली डेटा, धन के हेरफेर का विवरण आदि बरामद और जब्त किए गए। इसके अलावा, तलाशी के दौरान ईडी द्वारा जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 6.63 करोड़ रुपये है, जिसमें 55 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी, 1.85 करोड़ रुपये मूल्य के सोने का बुलियन, 1.95 करोड़ रुपये मूल्य के सोने का आभूषण और 2.28 करोड़ रुपये की लगभग 100 किलोग्राम वजन की चांदी शामिल है। इसके अतिरिक्त, कार्यवाही के दौरान आरोपियों के कई प्रासंगिक बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए।

आगे की जांच जारी है।

